7. भुगतान करने का स्वरूप और ढंग- प्रत्येक घोषणाकर्ता इलेक्ट्रॉनिक रुप से राशि जैसा कि इसके जारी होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर, निर्दिष्ट समिति द्वारा जारी किए गए फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 में दर्शाया गया है, का भुगतान करेगा।

8. उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से अपील वापस लेने का साक्ष्य- उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील या रिट याचिका या संदर्भ को वापस लेने का प्रमाण, जैसा भी मामला हो, धारा 127 की उप-धारा (7) के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रुप से घोषित या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से कार्यवाई किए जाने हेतु अधिकृत किया जाएगा।

9. डिस्चार्ज प्रमाण पत्र जारी करना- इस बात से संतुष्ट होने पर कि नामित समिति उसके द्वारा निर्धारित राशि फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 में दर्शाया गया और नियम 8 के अंतर्गत अपील या रिट याचिका या संदर्भ को वापस लेने का प्रमाण, यदि कोई हो, की प्रस्तुति पर इसका पूरा भुगतान किया गया है की घोषणा की है, तो उक्त भुगतान के 30 दिन के भीतर धारा 127 की उप-धारा (8) के अंतर्गत डिस्चार्ज एसवीएलडीआरएस-4 में एक डिस्चार्ज प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करेगा,

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहाँ नियम 6 के उप-नियम (2) में परन्तुक के आधार पर नामित समिति द्वारा कोई एसवीएलडीआरएस-3 जारी नहीं किया गया है, तो नियम 3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत घोषणा पत्र फाइल होने के 30 दिन के भीतर निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

[फा.सं. 267/78/19-सीएक्स8 (पार्ट III)]

माजिद खान, उपायुक्त सीएक्स-8

अनुबंध

फॉर्म एसवीएलडीआरएस-1

[वित्त अधिनियम, 2019 की धारा 125 के तहत घोषणा पत्र के साथ सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियम, 2019]

सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियम, 2019

(फॉर्म भरने से पहले कृपया योजना को ध्यान से पढ़ें)

भाग-क

1. क्या आपके पास सीमाशुल्क या सेवाकर पंजीकरण सं. है

हाँ	नहीं

2. घोषणाकर्ता का नाम

3. घोषणाकर्ता का पता

4. पिन कोड

5. मोबाईल नं.

Form SVLDRS-2

[Estimate under section 127 of the Finance (No.2) Act, 2019 read with rule 6 of the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme Rules, 2019 to be issued by the Designated Committee]

SABKA VISHWAS (LEGACY DISPUTE RESOLUTION) SCHEME, 2019

Declaration No………………………….
SVLDRS-2 No………………………………….
Commissionerate/DGGI, Delhi………………………
Zone/DGGI, Delhi………………………………………

Whereas Mr./Ms./M/s. .... (hereinafter referred to as the declarant) having registration no./Non assessee code no.……………. has filed a Declaration No…………………… dated …..under section 125 of the Finance (No. 2) Act, 2019;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 127 of the Finance (No. 2) Act, 2019, the designated committee, after consideration of facts on record, hereby determines the following amount estimated to be payable by the declarant towards full and final settlement of his/her/their tax dues covered by the said declaration under the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019:

Category	**Description of Goods/ Services**	**Matter involved**	**Time period**	**Tax dues**		**Tax relief**	**Pre-deposit or any other deposit of duty**	**Estimated Amount Payable**	
A	**B**	**C**	**D**	**E**		**F**	**G**	**H**	
				Name* E1	**Amount E2**			**Name* H1**	**Amt H2**
*Name of Duty/Tax/Cess									

Notice For Personal Hearing

If the Declarant does not agree with the Estimated Amount Payable, as determined by the designated committee, he is requested to appear for a Personal Hearing before the designated committee on …../……/2019 at ………… AM/PM at …………………………………………..(address) to explain the reasons thereof. Please submit Form SVLDRS 2A in case any other date and time of personal hearing is desired.

Members of the Designated Committee

1. Name:
   Designation:

2. Name:
   Designation:

(This is a computer generated print. There is no need for a signature)

Place……………………….
Date………………………..

PREVIEW dd/mm/2019	SUBMIT